कार्यालय वन वृत्त, भोपाल

खेल परिसर 74 बंगले भोपाल फोन न. 0755–2674296 फैक्स 2674345

(79)

क्र./ मा.चि/ 1918 भोपाल,दिनांक 23/02/2012

यू.क्र.-	
पिछला	अगला

प्रति,

समस्त वनसंरक्षक
एवं वन मंडलाधिकारी
वृत्त भोपाल

विषय– अग्नि सुरक्षा हेतु आवश्यक कार्यवाही बावत् ।

....

विषयांतर्गत जैसा कि आपको विदित है कि 16 फरवरी से अग्नि सीजन प्रारंभ हो गया है तथा एस.एम.एस. एवं कम्यूटर के माध्यम से फायर अलर्ट प्राप्त होना शुरू हो गये हैं। आपके द्वारा अग्नि सीजन से संबंधित समस्त तैयारियां कर ली गई होंगी । आवश्यक तैयारी के साथ–2 निम्न बिंदुओं पर व्यक्तिगत ध्यान दें एवं पालन करना सुंनिश्चित करें।

1:– फायर अलर्ट एस.एम.एस. आते ही प्रधान मुख्य वन संरक्षक महोदय द्वारा अग्नि दुर्धटना की स्थिति की जानकारी टेलीफोन से चाही जाती है। आपसे पूर्व से जानकारी के अभाव में उन्हें तत्काल जानकारी दे पाना संभव नहीं हो पाता है। अतएव आप सभी यह व्यवस्था सुनिश्चित करें कि आपके क्षेत्राधिकार में बिना एस.एम.एस. के भी कहीं भी कोई अग्नि प्रकरण होता है, तो उसकी जानकारी प्राप्त करें तथां प्रकरण में की गई कार्यवाही की जानकारी मुझे दूरभाष से अवगत करावें। ताकि एस.एम.एस अलर्ट के पूर्व ही जानकारी प्राप्त होकर प्रधान मुख्य वन संरक्षक महोदय को दी जा सके।

2:– फायर सीजन में फायर वाचर्स आपके द्वारा लगा दिये गये होंगे। फायर वाचर लगाने हेतु समुचित प्लानिंग भी आपके द्वारा कर ली गई होगी। फायर वाचर रेंडमली स्वीकृत नहीं किये जाकर, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों पर फायर केम्प बनाकर रखे जावें । विगत वर्ष रायसेन वनमण्डल द्वारा तदानुसार ही कार्यवाही की गई थी, जिसकी प्रशंसा प्रधान मुख्य वन संरक्षक महोदय द्वारा की गई थी। रायसेन वनमण्डल की अग्नि सुरक्षा योजना की प्रति भी आपको पूर्व में ही प्रेषित कर दी गई है। तदानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

3:– ईंटरनेट पर अग्नि दुर्घटनाओं की स्वयं समीक्षा करते रहें एवं सुनिश्चित करें कि 24 घंटे के अंदर फीडबेक भर दिया जावे।

4:– ऐसे क्षेत्र विशेष जहां एक से अधिक दुर्घटनाएं हो रही हैं, वहां विशेष समीक्षा की जावे एवं रोकथाम के विशेष उपाय किये जावें।

5:– वनों की अग्नि से सुरक्षा महत्वपूर्ण कार्य है। जब भी अग्नि दुर्धटना संज्ञान में आये यथासंभव वरिष्ठतम अधिकारी भी मौके पर पहुंचें एवं न्यूनतम क्षेत्र अग्नि में प्रभावित हो, सुनिश्चित करे।

6:– प्रत्येक माह की डायरी में वनरक्षक से लेकर वनमण्डलाधिकारियों की दौरा दैनंदिनी में अग्नि दुर्घटना के प्रकरणों में उनके द्वारा की गई कार्यवाही का उल्लेख 15/02/2012 से 30/06/2012 तक आवश्यक रूप से किया जावे। आप लोगों की डायरी में भी इस बात की समीक्षा की जावेगी कि तदाशय की प्रविष्टि है या नहीं।

7:– अग्नि से बचाव हेतु संयुक्त वनप्रबंध समितियों एवं अन्य माध्यम से समुचित प्रचार प्रसार भी कराया जावे।

उपरोक्त अग्नि सुरक्षा से संबंधित समय–2 पर दिये गये निर्देशों का कडाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

मुख्य वन संरक्षक
वन वृत्त भोपाल

पृ.क्रं.-	
पिछला	अगला